उत्तरांचल शासन
चिकित्सा अनुभाग–1
संख्या: १५६५ / XXV I I I(1)–2004–27 / 2003
देहरादून:दिनांक १९ अक्टूबर,2004

अधिसूचना

प्रकीर्ण

तात्कालिक प्रभाव से उत्तरांचल (संयुक्त प्रांत भारतीय चिकित्सा अधिनियम 1939) अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, 2002 के भाग–2 निमय–5 के उपनियम–1 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल महोदय "भारतीय चिकित्सा परिषद् उत्तरांचल"का गठन निम्नानुसार करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। परिषद् का कार्यकाल उक्त अधिनियम के भाग–2 की धारा–14 के अधीन अधिकतम 03 वर्ष होगा:–

(क) डा0 पारस कुमार जैन, हरिद्वार	अध्यक्ष
(ख) पदमश्री वैद्य श्री बालेन्दु प्रकाश,(बी.ए.एम.एस.) देहरादून	सदस्य
(ग) डा0 मायाराम उनियाल,(बी0ए0एम0एस0) (निदेशक, महर्षि आयुर्वेद नोएडा) टिहरी गढ़वाल	सदस्य
(घ) डा0 विनोद कुमार जोशी, (एम0डी0) रसशास्त्र, हल्द्वानी	सदस्य
(ङ) डा0 रतन लाल अरोड़ा,(बी0एम0एम0एस0) रूद्रपुर	सदस्य
(च) डा0 रघुनाथ जुयाल, अध्यक्ष विश्व आयुर्वेद परिषद,देहरादून.	सदस्य

(एस0के0दास)
प्रमुख सचिव।

NIC 647

NIC-647

संख्याः 1564 (1) / XXV | | (1)–2004–27 / 2003तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव महामहिम श्री राज्यपाल,उत्तरांचल।
2. प्रमुख सचिव,मा0 मुख्य मंत्री,उत्तरांचल।
3. सचिव,भारतीय चिकित्सा परिषद,भारतीय सरकार,नई दिल्ली।
4. निजी सचिव,मा0 स्वास्थ्य मंत्री,उत्तरांचल शासन।
5. महानिदेशक,चिकित्सा,स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण,उत्तरांचल,देहरादून।
6. निदेशक,आयुर्वेदिक एंव यूनानी सेवायें,उत्तरांचल,देहरादून।
7. समस्त जिलाधिकारी,उत्तरांचल।
8. अपर निदेशक,चिकित्सा एंव स्वास्थ्य,गढ़वाल मण्ड़ल / कुमाऊ मण्ड़ल,नैनीताल।
9. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,उत्तरांचल।
10. गार्ड फाईल।
11. एन.आई.सी.।

आज्ञा से,

(स्नेहलता अग्रवाल) 18/10/04

अपर सचिव।